



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2011/आषाढ़ 7, 1933

No. 348]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2011/ASADHA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

अधिसूचना

मुम्बई, 3 जून, 2011

सं. फेमा 219/2011-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा
विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2011

सा.का.नि. 491(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड (ख) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियमावली), 2011 कहलाएंगे।

(ख) ये 13 फरवरी, 2009 से प्रभावी मानी जाएंगे। @

2. विनियमावली का संशोधन

दिनांक 3 मई, 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 समय-समय पर यथासंशोधित, अर्थात् :

(क) विनियम 4 में उल्लेखित शब्द "अनुसूची" को

"अनुसूची I" के रूप में समझते हुए संशोधन किया जाएगा।

(ख) उप-विनियम 4 के बाद विनियम 6 में निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(4) भारत में प्राधिकृत व्यापारी वर्ग-I बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में नियत पात्रता मानदंड का अनुपालन करने वाले फर्म तथा कम्पनियों को भारत में डायमंड डॉलर खाता (डीडीए) खोलने, धारित करने तथा बनाए रखने के लिए अनुसूची II में निर्दिष्ट डायमंड डॉलर खाते (डीडीए) की शर्तों के अधीन अनुमति दे सकते हैं।"

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000/भाग (खण्ड फाइल)]

रश्मि फौज़दार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

1. @ यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इन विनियमावली के पूर्वव्यापी प्रभाव के परिणामस्वरूप विपरित रूप से प्रभावित नहीं होगा।

2. मूल विनियमावली, 5 मई, 2000 के सा.का.नि. 393(अ) के जरिए सरकारी राजपत्र में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :

(क) 25 अगस्त, 2000 के सं. सा.का.नि. 675(अ)

(ख) 12 फरवरी, 2001 के सं. सा.का.नि. 89(अ)

(ग) 19 फरवरी, 2001 के सं. सा.का.नि. 103(अ)

(घ) 21 मार्च, 2001 के सं. सा.का.नि. 200(अ)

- (ड) 2 जनवरी, 2002 के सं. सा.का.नि. 5(अ)
 (च) 9 अप्रैल, 2002 के सं. सा.का.नि. 261(अ)
 (छ) 2 जुलाई, 2002 के सं. सा.का.नि. 465(अ)
 (ज) 8 जुलाई, 2002 के सं. सा.का.नि. 474(अ)
 (झ) 8 नवम्बर, 2002 के सं. सा.का.नि. 755(अ)
 (ञ) 8 नवम्बर, 2002 के सं. सा.का.नि. 756(अ)
 (ट) 18 मार्च, 2003 के सं. सा.का.नि. 224(अ)
 (ठ) 14 मई, 2003 के सं. सा.का.नि. 398(अ)
 (ड) 3 जून, 2003 के सं. सा.का.नि. 452(अ)
 (ढ) 4 जून, 2003 के सं. सा.का.नि. 453(अ)
 (ण) 7 जनवरी, 2004 के सं. सा.का.नि. 11(अ)
 (त) 7 जनवरी, 2004 के सं. सा.का.नि. 13(अ)
 (थ) 23 मार्च, 2004 के सं. सा.का.नि. 209(अ)
 (द) 30 जून, 2007 के सं. सा.का.नि. 455(अ)
 (ध) 19 दिसम्बर, 2007 के सं. सा.का.नि. 778(अ)
 (न) 15 फरवरी, 2008 के सं. सा.का.नि. 92(अ)
 (प) 23 नवम्बर, 2009 के सं. सा.का.नि. 838(अ)
 (फ) 21 अप्रैल, 2010 के सं. सा.का.नि. 340(अ)

अनुसूची II

[विनियम (6) का उप-विनियम (4) देखें]

डायमंड डॉलर खाता (डीडीए) योजना

1. फर्म और कम्पनियां निम्नलिखित शर्तों पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास डायमंड डॉलर खाता (डीडीए) खोल तथा बनाए रख सकते हैं :—

- (क) समय-समय पर जारी भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में निर्धारित पात्रता मानदण्डों का पालन निर्यातकों को करना चाहिए।
 (ख) डायमंड डॉलर खाता (डीडीए) निर्यातक के नाम में खोला जाए और उसे केवल अमरीकी डॉलर में बनाए रखा जाए।
 (ग) यह खाता केवल चालू खाता स्वरूप में होगा और खाते में धारित शेष पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 (घ) खाताधारक द्वारा जारी डायमंड डॉलर खातों के बीच किसी अंतर-खाता अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 (ङ) किसी निर्यातक फर्म/कम्पनी को पांच से अधिक डायमंड डॉलर खातों को खोलने और उसे बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (च) खाते में धारित शेष, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं के अधीन होंगे।
 (छ) भारत अथवा विदेश में बैंकों में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (इएफएफ़ी) खातों को छोड़कर विदेशी मुद्रा खाता रखने वाली निर्यातक फर्म और कम्पनियां डायमंड डॉलर खाते खोलने के लिए पात्र नहीं हैं।
 (त) डायमंड डॉलर खाते (डीडीए) में लेन-देन निम्नानुसार होगा :

2. अनुमत जमा

- (i) अमरीकी डॉलर में प्राप्त लदान-पूर्व और लदानोत्तर वित्त की राशि।
 (ii) कच्चे, कटे हुए, पॉलिश किए हुए हीरों और हीरे जड़ित आभूषणों के लदान से प्राप्त निर्यात आगम (आय) की उगाही।
 (iii) कच्चे, कटे हुए, पॉलिश किए हुए हीरों की स्थानीय बिक्री से अमरीकी डॉलर में प्राप्त राशि की उगाही।

3. अनुमत नामे

- (i) समुद्रपारीय/स्थानीय स्रोतों से कच्चे हीरों के आयात/क्रय के लिए भुगतान।
 (ii) स्थानीय स्रोतों से कटे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों, रंगीन रत्नों और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद के लिए भुगतान।
 (iii) समुद्रपारीय/नामित एजेंसियों से स्वर्ण के आयात/क्रय के लिए भुगतान तथा बैंक से प्राप्त अमरीकी डॉलर ऋणों की चुकौती।
 (iv) निर्यातक के रूप खाते में अंतरण।

उपर्युक्त लेनदेन समय-समय पर जारी भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अधीन हैं।

4. आवेदन प्रक्रिया :

डायमंड डॉलर खाता खोलने के लिए निर्यातक फर्म/कम्पनी को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास संलग्न फार्मेट में एक आवेदन करना होगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के अंत में (अप्रैल-मार्च) फर्म/कम्पनी के पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड का आकलन करें। अगर कोई फर्म/कम्पनी पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करती है तो खाता तुरंत बंद कर दिया जाए।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, जिन फर्म/कम्पनी के नाम में डायमंड डॉलर खाता खोला गया है, डायमंड डॉलर खाता खोलने/बंद करने की तारीख के साथ ऐसी फर्म/कम्पनी के नाम और पते के ब्यौरे देते हुए एक मासिक रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, व्यापार प्रभाग, अमर बिल्डिंग, मुंबई-400001 को रिपोर्ट जिस महीने के संबंध में है, उसके बाद वाले महीने की 10 तारीख तक प्रस्तुत करें।

डायमंड डॉलर खाता खोलने के लिए आवेदन

शाखा प्रबंधक

(प्राधिकृत व्यापारी बैंक/शाखा का नाम और पता)

महोदय

हम हीरे/रंगीन रत्नों/हीरों अथवा रंगीन रत्नों से जड़े हुए आभूषणों/सोने के सादे आभूषणों के आयात/निर्यात में कम-से-कम दो वर्षों के पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड सहित कच्चे अथवा कटे हुए अथवा पॉलिश किए हुए हीरों/बहुमूल्य धातु वाले सादे आभूषणों, मीनाकारी और/अथवा हीरों और/अथवा अन्य रत्न-जटित अथवा बिना हीरे अथवा अन्य रत्न-जटित की खरीद/बिक्री का कार्य करते हैं तथा पिछले तीन लाइसेन्स वर्षों के दौरान 3 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक का औसत वार्षिक पण्यावर्त रखते हैं।

2. हम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी क्रियाविधियों की पुस्तिका (हैंडबुक ऑफ प्रोसिजर्स) (संबंधित खंड संख्या का उल्लेख करें) के साथ पठित भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति (अवधि अर्थात् 2009-2014) के प्रावधानों (संबंधित प्रावधान का उल्लेख करें) के अनुसार आपके बैंक में डायमंड डॉलर खाता योजना के तहत चालू खाता/खाते खोलना चाहते हैं।

3. संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत हैं :

- (i) फर्म/कंपनी का नाम :
- (ii) पंजीकृत कार्यालय का पता :
- (iii) मुख्य व्यवसाय :
- (iv) आईई कूट सं. :
- (v) पिछले दो वर्षों का वार्षिक पण्यावर्त (सनरी लेखाकार का प्रमाणपत्र संलग्न करें)
- (vi) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते के ब्यौरे, यदि कोई हों :

4. हम पुष्टि करते हैं कि हमारा भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते को छोड़कर कोई विदेशी मुद्रा खाता नहीं है।

5. हम घोषित करते हैं कि हम आपकी शाखा में खोलने के लिए एक प्रस्तावित खाते सहित 5 डायमंड डॉलर खाते से अधिक खाते नहीं रखते हैं।

6. हम घोषित करते हैं कि हम न तो भारतीय रिजर्व बैंक की सतर्कता सूची में न ही भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) के चूककर्ताओं की सूची में हैं।

7. हम समय-समय पर बनाए गए/बनाए जाने वाले डायमंड डॉलर खाता योजना के नियमों और आपके बैंक में डायमंड डॉलर खाता खोलने और बनाए रखने के लिए निर्धारित शर्तों और भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के कोई अन्य विदेशी मुद्रा/विदेश व्यापार विनियम का पालन करने का वचन देते हैं।

हम आपसे अनुरोध करते हैं आप फर्म/कंपनी के नाम में डायमंड डॉलर खाता खोलें।

(फर्म/कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

फर्म/कंपनी की मुहर :

दिनांक :

स्थान :

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****RESERVE BANK OF INDIA****(Foreign Exchange Department)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 3rd June, 2011

No. FEMA/219/2011-RB

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2011

G.S.R. 491(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 10/2000-RB dated May 3, 2000), namely :—

1. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2011
- (ii) They shall be deemed to have come into force with effect from February 13, 2009.@

2. Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, dated May 3, 2000 as amended from time to time, viz. :

- (a) in Regulation 4 the word "Schedule" shall be amended to read as "Schedule-I",
- (b) in Regulation 6 after Sub-regulation (4) the following sub-regulation shall be added namely :—

"(4) An Authorized Dealer Category-I Banks in India may allow firms and companies who

comply with the eligibility criteria stipulated in the Foreign Trade Policy of Government of India, in force from time to time and the directions as may be issued by Reserve Bank of India, from time to time, to open, hold and maintain Diamond Dollar Accounts (DDAs) in India subject to the terms and conditions of the DDA Scheme specified in Schedule II."

[F.No. 1/23/EM/2000 Vol. IV (Part File)]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note :

1. @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette of India *vide* No. G.S.R. 393(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*

- (a) No. G.S.R. 675(E), dated August 25, 2000,
- (b) No. G.S.R. 89(E), dated February 12, 2001,
- (c) No. G.S.R. 103(E), dated February 19, 2001,
- (d) No. G.S.R. 200(E), dated March 21, 2001,
- (e) No. G.S.R. 5(E), dated January 2, 2002,
- (f) No. G.S.R. 261 (E), dated April 9, 2002,
- (g) No. G.S.R. 465(E), dated July 2, 2002,
- (h) No. G.S.R. 474(E), dated July 8, 2002,
- (i) No. G.S.R. 755(E), dated November 8, 2002,
- (j) No. G.S.R. 756(E), dated November 8, 2002,
- (k) No. G.S.R. 224(E), dated March 18, 2003,
- (l) No. G.S.R. 398(E), dated May 14, 2003,
- (m) No. G.S.R. 452(E), dated June 3, 2003,
- (n) No. G.S.R. 453(E), dated June 4, 2003,
- (o) No. G.S.R. 11(E), dated January 7, 2004,
- (p) No. G.S.R. 13(E), dated January 7, 2004,
- (q) No. G.S.R. 209(E), dated March 23, 2004,
- (r) No. G.S.R. 455(E), dated June 30, 2007,
- (s) No. G.S.R. 778(E), dated December 19, 2007,
- (t) No. G.S.R. 92(E), dated February 15, 2008,
- (u) No. G.S.R. 838(E), dated November 23, 2009,
- (v) No. G.S.R. 340(E), dated April 21, 2010

Schedule II

[See Sub-regulation (4) of Regulation 6]

Diamond Dollar Account (DDA) Scheme

1. Firms and companies may open and maintain DDA with AD Category-I banks, subject to the following terms and conditions :—

- (a) The exporter should comply with the eligibility criteria stipulated in the Foreign Trade Policy of the Government of India, issued from time to time.
- (b) The DDA shall be opened in the name of the exporter and maintained in US Dollars only.
- (c) The account shall only be in the form of current account and no interest should be paid on the balance held in the account.
- (d) No intra-account transfer should be allowed between the DDAs maintained by the account holder.
- (e) An exporter firm / company shall be permitted to open and maintain not more than 5 DDAs.
- (f) The balances held in the accounts shall be subject to Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) requirements.
- (g) Exporter firms and companies maintaining foreign currency accounts, excluding EEFC accounts, with banks in India or abroad, are not eligible to open Diamond Dollar Accounts.
- (h) The transactions in the DDA would be as under :

2. Permissible Credits :—

- (i) Amount of pre-shipment and post-shipment finance availed in US Dollars.
- (ii) Realisation of export proceeds from shipments of rough, cut, polished diamonds and diamond studded jewellery.
- (iii) Realisation in US Dollars from local sale of rough, cut and polished diamonds.

3. Permissible Debits :—

- (i) Payment for import/purchase of rough diamonds from overseas/local sources.
- (ii) Payment for purchase of cut and polished diamonds, coloured gemstones and plain gold jewellery from local sources.
- (iii) Payment for import/purchase of gold from overseas/nominated agencies and repayment of US Dollars loans availed from the bank.

(iv) Transfer to rupee account of the exporter.

The above transactions are subject to the provisions of the Foreign Trade Policy of Government of India, issued from time to time.

4. Application Procedure :—

The exporter firm/company shall make an application in the format annexed to the AD Category-I bank for opening of the DDA. AD Category-I banks should assess the track record of the firm/company at the end of every licensing year (April-March). In case any firm/company fails to meet the eligibility criteria, the account may be closed immediately.

5. AD Category-I banks shall submit a monthly report to the Chief General Manager-in-Charge, Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Trade Division, Amar Building, Mumbai-400001, giving details of the name and address of the firm/company in whose name the Diamond Dollar Account is opened, along with the date of opening/closing the Diamond Dollar Account, by the 10th of the following month to which it relates.

**APPLICATION FOR OPENING DIAMOND
DOLLAR ACCOUNT/S**

To,

The Branch Manager/

(name and address of AD bank/branch)

Dear Sir,

We are dealing in purchase / sale of rough or cut and polished diamonds/precious metal jewellery plain, minakari and/or studded with/without diamond and /or other stones, with a track record of at least 2 years in import/export of diamonds/coloured gemstones/diamond and coloured gemstones studded jewellery/plain gold jewellery, and having an average annual turnover of Rs. 3 crore or above during preceding three licensing years.

2. We wish to open a current account/s under the Diamond Dollar Account Scheme with your bank in accordance with the provisions of (mention the relevant paragraph) of the Foreign Trade Policy (period e.g. 2009-2014) of the Government of India read with the Handbook

of Procedures (mention the relevant Volume No.) issued by Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

3. The relevant particulars are furnished below :

- (i) Name of the Firm/Company :
- (ii) Address of the Registered Office :
- (iii) Principal business :
- (iv) IE Code No. :
- (v) Annual Turnover of the last two years (enclose certificate of CA)
- (vi) Details of the EEFC account, if any :

4. We confirm that we are not maintaining any foreign currency account, excluding EEFC account, with banks in India or abroad.

5. We declare that we are not maintaining more than 5 DDAs including the one proposed to be opened with your branch.

6. We declare that we are neither on the caution list of exporters of Reserve Bank of India nor on the defaulters list of Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC).

7. We undertake to abide by the rules of the Diamond Dollar Account Scheme framed/to be framed from time to time and the terms and conditions stipulated for opening and maintenance of the DDA with your bank and any other foreign exchange/foreign trade regulation of Reserve Bank of India/Government of India.

We request you to open a Diamond Dollar Account/s in the name of the firm/company.

(Signature of the Authorized Official of the firm/company)

Name:

Designation :

Seal of firm/company :

Date :

Place :

2404 50711-2